

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।



आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा०.....सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-433/2018 राज्य बनाम उत्पाद वाद कांड संख्या:-2016 से अबतक कुल:-03

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
01.12.2018	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत उत्पाद वाद में दर्ज कांड संख्या:-03 में अक्टूबर-2016 के बाद जप्त प्रदर्श देशी/विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 540/उ०, दिनांक 01.12.2018 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद प्रहार बल, खगड़िया के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त 150 लीटर चुलाई देशी शराब तथा 20.61 लीटर विदेशी शराब को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया जाँच कराया गया है तथा शेष कुल-150 लीटर चुलाई शराब तथा 20.61 लीटर विदेशी शराब उत्पाद थाने के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई विदेशी शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 150 लीटर चुलाई शराब तथा 20.61 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए उत्पाद वाद में दर्ज कांड संख्या:-03/अक्टूबर 2016 के बाद के आधार पर जप्त की गई शेष कुल-150 लीटर चुलाई शराब तथा 20.61 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/अवर निरीक्षक उत्पाद /चलिष्णु दल/सहायक अवर निरीक्षक प्रहार बल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: right;"> समाहर्ता, खगड़िया।</p>	<p style="font-size: 2em;"></p> <p>समाहर्ता, खगड़िया।</p>

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 03.
<p>7</p> <p>बिहार प्रमुख विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया, 899, 900, 904, 905, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</p>	<p>डी०बी० नं० 904A / विधि, दिनांक 1-12-18</p> <p>प्रतिलिपि:-उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/अवर निरीक्षक, उत्पाद/चलिष्णु दल/सहायक अवर निरीक्षक प्रहार बल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p>11/1/18</p> <p>प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।</p> <p>11/1/18</p>	